राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिक शिक्षा

अनामिका यादव*
शिरीष पाल सिंह**

शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वासी बनाने के साथ-साथ अपने वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाती है। इस शैक्षिक प्रक्रिया में प्राप्त हुए नए अनुभवों के माध्यम से वे आनुभविक ज्ञान आधारित जीवनयापन करते हैं। यह ज्ञान भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में और भी आवश्यक है, क्योंकि भारत में कई नस्लों, जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इसलिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचार एवं सुधारात्मक आंदोलन है, जिसका लक्ष्य शैक्षिक संस्थानों में विविध सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों वाले विद्यार्थियों को स्कूल आधारित गतिविधियों में सहभागिता करने का समान अवसर मिले। बहुसांस्कृतिक शिक्षा न केवल विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराती है, बल्कि विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, संवेदनशीलता और दूसरों की संस्कृति के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान की भावना भी पैदा करती है। यह शिक्षा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा भी देती है। इसलिए, शिक्षा संस्कृति को विकसित करने, संरक्षित करने और संवर्धन करने का एक साधन है। यह लेख अनेक शोध-पत्रों, पत्रिकाओं और मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर बहुसांस्कृतिक शिक्षा का विश्लेषण और वैचारिक चर्चा प्रस्तुत करता है।

भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें कई नस्लों, जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का समावेश है। यह विविधता सदियों से मुख्य रूप से कई परंपराओं, प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों के कारण बनी हुई है, जिन्हें देशभर के समुदायों ने अथक रूप से पोषित किया है और असंख्य रूपों में प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी परंपराओं और प्रथाओं की बेहतरीन अभिव्यक्तियों को भाषाओं एवं साहित्य, भोजन की आदतों एवं व्यंजनों, कपड़ों एवं पोशाक, मेलों एवं त्योहारों, कला एवं शिल्प, संगीत, नृत्य एवं नाटक तथा स्थापत्य एवं मूर्तिकला शैलियों में चित्रित किया जाता है। इसके अलावा, लोगों के दैनिक जीवन में विविधता को भी देखा जाता है। भारत की इसी विविधता पर एक कहावत प्रचलित है कि 'कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बदले वाणी'। क्योंकि भारत में अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएँ, शैक्षिक पृष्ठभूमि, रीति-रिवाज और मूल्य हैं, जिनका विकास कई धर्मों के लोगों ने किया है। समयानुसार देश और लोगों के बीच दूरियाँ बढ़ी हैं, लेकिन डिजिटल क्रांति के कारण

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
***प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

आज पूरा विश्व एक वैश्विक गाँव बन गया है। इसी अवधारणा को भारत प्राचीनकाल से ही 'वसुधैव कुटुंबकम' के रूप में अपनाते हुए प्रचारित कर रहा है। भारत का संविधान भी सांस्कृतिक बुनियाद को मज़बूत करने के लिए मार्गदर्शित करता है, जो भारत को लोकतांत्रिक देश के रूप में सशक्त बनाता है।

अनुभव शिक्षा की एक जीवित प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है, जो पर्यावरण एवं परिस्थिति को नियंत्रित कर अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। एक समावेशी एवं दूरदर्शी भविष्य की शिक्षा नीति, देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के विकास के लिए एक अनिवार्य आंदोलन का कार्य करती है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय और वैश्विक ज़रूरतों को शामिल किया जाता है (सरकार और सरकार, 2021)। शिक्षा बच्चों को इस तरह से तैयार करती है कि वे आत्मविश्वास के साथ अपने वयस्क जीवन की ज़िम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो जाते हैं (पाई, 2005)। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जिसमें कई परंपराओं, रीति-रिवाजों, जातियों, भाषाओं, धर्मों एवं संस्कृतियों का समावेश है। ये विरोधाभासी रूप से अलग होते हुए भी कई स्तरों पर परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी कारण भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के बहुभाषी रूप हैं। संस्कृतियों में विविधता इक्कीसवीं सदी की प्रमुख विशेषता बन गई है। यही विशेषता भारत की कक्षाओं में देखी जा सकती है, जहाँ बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं। लगातार बदलते वैश्विक परिदृश्य में विद्यार्थियों को भविष्य के ज़िम्मेदार नागरिक होने के लिए जोखिम का सामना करने हेतु सक्षम बनाना अनिवार्य हो गया है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा

बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचार और सुधारात्मक आंदोलन है जिसका प्रमुख लक्ष्य शैक्षिक संस्थानों की संरचना बदलना है ताकि साधारण एवं असाधारण विद्यार्थी और विविध पृष्ठभूमि, भाषा एवं सांस्कृतिक समूहों वाले विद्यार्थियों को विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता करने का समान अवसर मिले। बहुसंस्कृतिवाद यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक अपनी अस्मिता सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकते हैं एवं जुड़ाव के बोध से संपन्न हो सकते हैं। बहुसांस्कृतिकता का विचार इस बात पर बल देता है कि किसी समाज में मौजूद विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों को राज्य की ओर से समुचित मान्यता मिलनी चाहिए एवं उन्हें अपने विश्वासों, रीति-रिवाजों और जीवन-पद्धति को अमल में लाने के लिए पर्याप्त सहूलियतें एवं सुविधाएँ मुहैया कराई जानी चाहिए। किसी विशेष जाति, धर्म एवं सांस्कृतिक समुदाय के मूल्यों को केंद्रीय मानकर उन्हें मान्यता, संरक्षण और प्रोत्साहन देना बहुसंस्कृतिवाद का बुनियादी सूत्र है। इसकी शुरुआत विद्यालय एवं कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को अपनाकर की जा सकती है। बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करने और उन्हें संवैधानिक रूप से समान स्थान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसी भी संस्कृति का भविष्य उस देश में शिक्षित वर्ग की विचारधारा पर निर्भर करता है और यह विचारधारा उस देश की शिक्षा प्रणाली के आधार पर उस देश की संस्कृति को प्रभावित करती है। शिक्षा संस्कृति को विकसित करने, संरक्षित करने

और विस्तार करने का एक साधन है। इसलिए भारत ने बहुसंस्कृतिवाद एवं धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। भारत में अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएँ, शैक्षिक पृष्ठभूमि, रीति-रिवाज और मूल्य हैं। अत: बहुसांस्कृतिकता की अवधारणा को समझना और समझाना अति आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से ही समाज में व्याप्त आपसी विरोधाभासों को कम अथवा समाप्त किया जा सकता है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न शिक्षा नीतियाँ

तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा अनुभव किया गया था है कि भारत जैसे समृद्ध एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाले देश में परंपराओं एवं औपचारिक शिक्षण पद्धति के मध्य ऊपजी खाई को भरना अति आवश्यक है। इन सांस्कृतिक परंपराओं के मध्य व्याप्त अंतर को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सेतु का कार्य कर सकती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, 1986)। इस हेतु कक्षाओं की बहुसांस्कृतिक संरचना की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। क्योंकि इसे समग्र रूप से सीखने के माहौल के साथ-साथ स्कूली जीवन और निर्णय लेने, अध्यापक शिक्षा जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्य आयामों से संबंधित होना चाहिए। प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या, निर्देश की भाषाएँ, शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण सामग्री आदि में कई दृष्टिकोणों और संवादों को शामिल किया जा सकता है। विद्यालयी शिक्षा को कुछ इस प्रकार से संगठित करना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों में आपसी सद्भाव, भाईचारा, एकता, अखंडता, निपुर्णता, आपसी सहयोग एवं अनुशासन का विकास हो सके, जो भारतीय बहुसांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है (मुदालियर, 1952–53)। शिक्षा आयोग द्वारा सांस्कृतिक भिन्नता अथवा बहुसांस्कृतिकता को बनाए रखने के लिए यह सुझाव दिया गया कि क्षेत्रीय विशिष्टताओं को बनाए रखने हेतु राज्य स्तर की शिक्षा में कुछ इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान एवं संस्कृति बनी रहे। इससे सभी क्षेत्रों की संस्कृति का विकास एवं पहचान बनी रहेगी। इस प्रकार क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति हो सकेगी और बहुसांस्कृतिकता को बढ़ावा मिलेगा (कोठारी आयोग, 1964–66)। संवैधानिक कर्तव्यों का निर्धारण, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण, संवर्धन, सांस्कृतिक विकास एवं उनमें सामंजस्य एवं उनकी पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। इससे सभी विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के वास्तविक जीवन एवं उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जा सके। इस प्रकार विद्यार्थियों में अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया जा सकेगा एवं बहुसांस्कृतिकता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित किया जा सकेगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, 1986)। प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) ने बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं की खोज के संदर्भ में, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने पर ज़ोर दिया था। इसने स्कूली पाठ्यक्रम में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की विविध छवियों के प्रतिबिंब की दिशा में कदम उठाने का सुझाव दिया था। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में बहुसांस्कृतिकता

को बढ़ावा देने हेतु अल्पसंख्यकों के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का भाव जागृत करने हेतु सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में सांस्कृतिक भिन्नता से संबंधित तथ्यों को समाहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न शिक्षा नीतियों एवं दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीतियों में सुधार किया गया।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा में बहुभाषिकता का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा की उपस्थिति को शिक्षण के माध्यम के रूप में, भाषा को अध्ययन के रूप में, भाषा शिक्षण के रूप में एवं भाषा को सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह समझा जा सकता है कि भाषा के साथ शिक्षा के मूल सरोकार, जैसे— राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के पोषण और सम्मान, अवसरों की समानता एवं आर्थिक विकास के मद्दे भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की बहुभाषाई संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाने का कार्य किया है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आए हैं, कई नीतियाँ एवं योजनाएँ भी बनाई गईं। लेकिन इक्कीसवीं सदी के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संबंध में दिए गए प्रावधान सराहनीय हैं। बहुभाषी शिक्षा, जो शिक्षा में निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत करेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभों तक पहुँचने में मदद करेगी (दुन्घाव, 2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भविष्य की शिक्षा व्यवस्था एवं उसकी संरचना को समझने में मदद करती है। यह शिक्षा नीति न केवल अवधारणाओं पर चर्चा करती है बल्कि शिक्षा में समानता लाने में नवाचार की पहचान भी करती है। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह नीति समान और समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव लाने पर ज़ोर देती है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव और लचीलेपन की माँग करती है ताकि विविध बहुसांस्कृतिक परिवेश से आने वाले लोगों की ज़रूरतों के अनुसार नीति को लागू किया जा सके। इसलिए शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है (कुमार, 2021)। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी बहुसांस्कृतिक शिक्षा पर आधारित विभिन्न प्रावधान किए गए। जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में बताया गया है—

- अनुच्छेद 1.2 के अनुसार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) स्तर पर सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, समूह में कार्य करना एवं आपसी सहयोग को विकसित करने पर ध्यान दिया गया है जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक कदम माना जा सकता है।

- अनुच्छेद 2.8 के अनुसार, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। जिससे सभी स्थानों, भाषाओं एवं शैलियों में पुस्तकों की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं पाठकों तक पहुँच को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
- अनुच्छेद 4.7 के अनुसार, कला-एकीकृत शिक्षणशास्त्र (आर्ट-इंटीग्रेशन), एक ऐसा क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला एवं संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। यह न सिर्फ़ कक्षा को आनंददायक बनाएगी अपितु भारतीय कला एवं संस्कृति से बच्चों को भी परिचित कराएगी।
- अनुच्छेद 4.11 के अनुसार, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को कम से कम ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 8 तक और उससे आगे तक की शिक्षा में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, भाषा के रूप में स्थानीय भाषा या घर की भाषा को संभवतः पढ़ाया जाएगा तथा निजी एवं सार्वजानिक दोनों ही प्रकार के विद्यालय इसका पालन करेंगे। सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को मातृभाषा या घरेलू भाषा में भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शिक्षण के माध्यम और बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अंतर को समाप्त किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य संवाद की भाषा के रूप में घर की भाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। अध्यापकों को द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी उपागम हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उन विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा हो जिनके घर की भाषा या मातृभाषा, शिक्षा के माध्यम से भिन्न है।
- अनुच्छेद 4.12 के अनुसार, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए सभी भाषाओं को मनोरंजक एवं संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। साथ ही, मातृभाषा में लिखने के साथ-साथ अन्य भाषाओं को पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित किया जाएगा।
- अनुच्छेद 4.13 में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों, संघ की आकांक्षाओं, क्षेत्रों, लोगों एवं बहुभाषिकता के साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाएगा।
- अनुच्छेद 4.18 में भारत की सभी शास्त्रीय भाषाओं, जैसे—तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के साथ-साथ पालि, फ़ारसी, प्राकृत के साहित्य को समृद्ध करने के साथ भावी पीढ़ी हेतु भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
- भारत विभिन्न संस्कृतियों का समृद्ध भंडार है और अनुच्छेद 22.2 के अनुसार, भारतीय संस्कृतियों का संवर्धन करने का कार्य सिर्फ़ राष्ट्र का नहीं है अपितु राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि अपने राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संस्कृतियों का संरक्षण एवं संवर्धन करें। बच्चों को अपनी संस्कृति की पहचान तथा अपनेपन के भाव एवं अन्य संस्कृतियों की पहचान एवं उनके प्रति सराहना का भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता एवं उसकी अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं को विकसित किया जाए।

- अनुच्छेद 22.3 के अनुसार व्यक्तियों के लिए प्रसन्नता, कल्याण, संज्ञानात्मक विकास एवं सांस्कृतिक पहचान एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है, जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय कला, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से प्रारंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को कला शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
- अनुच्छेद 22.4 में कहा गया है कि भाषा किसी भी कला एवं संस्कृति को निःसंदेह रूप से जोड़ने का कार्य करती है। किसी विशेष भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की सरंचना पर निर्भर करता है। क्योंकि एक संस्कृति के लोगों का दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ बातचीत अथवा संवाद करने से दोनों ही संस्कृतियों के लोगों की भाषा एवं संस्कृति प्रभावित होती है। अपनी संस्कृति के लोगों से संवाद करने में जो अपनापन अनुभव होता है, उसे ही संस्कृति का प्रतिबिंब कहा जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति भाषाओं में निहित है किंतु भाषाओं को उचित स्थान न मिलने से भारतीय भाषाएँ लगभग लुप्त होती जा रही हैं। भाषाओं को लुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं के शिक्षण एवं अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एकीकृत करने की आवश्यकता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री का अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जाना चाहिए। अनुवाद करने से एक संस्कृति के लोग अन्य संस्कृति के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों से परिचित हो सकें और अपनी संस्कृति के लोगों की तरह अन्य संस्कृति के लोगों के साथ अपनापन या लगाव महसूस कर सकें। शिक्षण सामग्रियों एवं पाठ्यपुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने से हम बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और सामान्य कक्षा में बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषा-भाषी लोगों का स्वागत कर सकेंगे। विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता एवं बहुसांस्कृतिकता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को संस्कृति से संपन्न देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने जैसी गतिविधियों में शामिल करना होगा। ऐसा करने से वह विविध भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं एवं ज्ञान को समझ सकेंगे, और उनमें अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होगा। इस दिशा में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों एवं भाषाओं को बोलने वाले लोगों से परिचित कराया जाएगा। इस प्रकार भाषाएँ भी बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान प्रदान करती हैं।
- इस शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यपुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा और यदि पाठ्यपुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो इस स्थिति में बच्चों और अध्यापक के बीच बातचीत या संवाद का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी। ऐसा करने से कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को उनकी भाषा अथवा मातृभाषा में सीखने का अवसर प्राप्त हो।

- अध्यापकों को यह भी ध्यान देना होगा कि वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के साथ-साथ भारतीय मूल्य, ज्ञान, लोकाचार, भाषाओं, परंपराओं एवं विभिन्न जनजातियों की परंपराओं के प्रति भी जागरूक हों। यदि वह जागरूक हैं तो कक्षा में बिना किसी भेदभाव के सभी संस्कृति एवं मूल्यों का सम्मान करते हुए एक सफल कक्षा का संचालन किया जा सके।
- भारत की बहुभाषावाद के आलोक में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता के लिए दिशा-निर्देश, पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री विकसित करने के साथ-साथ भारत की विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध विरासत के संपर्क में आने के लिए बच्चों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत भ्रमण/ऑनलाइन या ई-पर्यटन, लिंक राज्यों की भाषा सीखने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समृद्ध भाषा, कला, संगीत, स्वदेशी वस्त्र/भोजन/खेल, संस्कृति और लोकाचार आदि के ऑनलाइन भंडार बनाए जाएँगे (शिक्षा मंत्रालय, 2021)।

बहुसंस्कृति को बढ़ावा देने में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की उपयोगिता

आलोचनात्मक बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। समकालीन विद्वानों ने आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की ओर पारंपरिक बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संशोधन का आह्वान किया है जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और सामाजिक संबंधों में लोकतांत्रिक पहल को बढ़ावा देना चाहता है (मैकलारेन, 2003)। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद विविध समाज में समझ और भागीदारी को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सद्भाव प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रयासों का समर्थन करता है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद यह सुझाव देता है कि अध्यापकों/शिक्षार्थियों के रूप में, हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के व्यक्तिगत साधनों के माध्यम से और दूसरों के साथ संवाद में परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए स्वयं को समर्पित करता है (फ्रेरे, 1998)। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद को बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के पास बहुसांस्कृतिकता के इतिहास की अच्छी पृष्ठभूमि है जिसके लिए असंख्य सांस्कृतिक संसाधनों की विविधता को आकर्षित करने के लिए शिक्षण कार्य में लचीलापन होना चाहिए। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद इस विचार की रक्षा करने का भी प्रयास करता है कि अध्यापक और विद्यार्थी ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पाद हैं, साथ ही साथ विद्यालय के पाठ्यक्रम में निहित सामाजिक हितों और उद्देश्यों की ओर इशारा करते हैं (गिल्लिस्पिए, 2011)। पाउलो फ्रेरे के अनुसार, आलोचनात्मक संवाद का सांस्कृतिक आयाम मुक्ति के लिए प्रतिनिधित्व करना है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षण खेल और खोज गतिविधि पर आधारित हो साथ ही बढ़ती कक्षा के साथ कक्षा शैली संवादात्मक हो जिससे आलोचनात्मक चिंतन विद्यार्थियों में जाग्रत किया जा सके। इसके साथ ही कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक पूर्ण हो जिससे बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा मिले।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में लागू करने के तरीके

बहुसांस्कृतिक शिक्षा को विद्यालय या विद्यालय के बाहर लागू करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक और विद्यालय समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को संपादित करते रहें जिससे बहुसंस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा एवं विद्यालय में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को लागू करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाया जा सकता है।

परियोजना पद्धति

बहुसांस्कृतिक शिक्षा के उचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना पद्धति अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। परियोजना पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुसांस्कृतिक बनाना सरल एवं संभव है। ऐसी कई प्रकार की परियोजनाएँ हैं जिन्हें शुरू किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, विभिन्न सामाजिक मुद्दों, विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं, विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों आदि पर जानकारी एकत्र करना सीखना। इस तरह विद्यार्थी विभिन्न परियोजना कार्य व्यक्तिगत समूह में करते हुए वास्तविक ज्ञान एवं समझ प्राप्त करते हैं।

समूह गतिविधियाँ

विद्यार्थियों के लिए अध्यापक द्वारा समूह में गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जिसमें समूह में कार्य और सहयोग पर ध्यान केंद्रित हो। इस प्रकार की गतिविधियों से सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने और कक्षा में सांस्कृतिक मतभेदों को अपनाने में सहजता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापक अपनी कक्षा में समूह गतिविधियों का आयोजन समय-समय पर करते रहें और साथ ही विद्यालय के बाहर भी यथासंभव इस तरह की समूह गतिविधियों का आयोजन करने का प्रयास करें।

समस्या-समाधान विधि

प्रत्येक संस्कृति में कई अच्छी व बुरी प्रथाएँ और परंपराएँ निहित होती हैं। समस्या-समाधान विधियों को अपनाकर अध्यापक द्वारा सांस्कृतिक समस्या संबंधित कार्य विद्यार्थियों को देना चाहिए ताकि वे ऐसी कई बुरी परंपराएँ और प्रथाओं के संदर्भ में सही समाधान खोजकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार समस्या-समाधान पद्धति को प्रभावी ढंग से कक्षा या विद्यालय और विद्यालय के बाहर अपनाया जा सकता है।

संगोष्ठी विधि अथवा बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना

संगोष्ठी शिक्षण पद्धति के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करना संभव है। यह विद्यार्थियों में विभिन्न संस्कृतियों के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगी। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में संगोष्ठी शिक्षण पद्धति बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय द्वारा बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अतिथि वक्ताओं को अपनी-अपनी संस्कृति के विषय में विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करें। इस प्रकार बहुसांस्कृतिक शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

वाद-विवाद एवं खुली चर्चाओं का आयोजन करना

वाद-विवाद पद्धति के माध्यम से विद्यार्थी सांस्कृतिक एकीकरण एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता को विकसित करने के संदर्भ एवं विभिन्न सांस्कृतिक मुद्दों पर वाद-विवाद कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कौशल और सांस्कृतिक भाईचारे को विकसित किया जा सकता है। किसी एक मौजूदा सांस्कृतिक या सामाजिक मुद्दे का चयन करना, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने, बेहतर श्रोता बनने और अन्य समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जानने हेतु खुली चर्चाओं का अनिवार्य रूप से आयोजन करना चाहिए।

विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना

अध्यापक के द्वारा कक्षा में आकस्मिक सत्र आयोजित किए जाने चाहिए जिसमें विद्यार्थी कहानियों और अनुभवों को साझा कर सकें। उन्हें अपने विचारों को खुलकर रखने, एक-दूसरे से जुड़ने और मज़बूत संचार कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहिए। अध्यापक कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें।

सांस्कृतिक भोजन एक-दूसरे के साथ साझा करना

कभी-कभी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन के लिए अपना पारंपरिक भोजन लाने के लिए कहें। साथ ही, विभिन्न व्यंजनों के बारे में जानने के लिए इसे एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिए कहें। ऐसा करने से विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी एक-दूसरे के परंपरागत व्यंजनों के महत्व के बारे में सीख सकेंगे।

सांस्कृतिक कहानी कहने को प्रोत्साहित करना

हर संस्कृति, हर समुदाय एवं हर घर में कुछ लोक कथाएँ कही जाती हैं। जो विद्यार्थी अपने घरों में बड़े-बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक कहानियों को साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को प्रत्येक कहानी से नैतिक सीख लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से कक्षा के सभी विद्यार्थी एक-दूसरे की संस्कृतियों से परिचित हो सकेंगे।

प्रतिमाह संस्कृति दिवस मनाना

अध्यापक विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए महीने में एक बार उनकी सांस्कृतिक पोशाक पहनने, उनके रहन-सहन से संबंधित नुक्कड़-नाटक आदि करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय द्वारा प्रतिमाह संस्कृति दिवस मनाया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक उत्सव मनाना

सांस्कृतिक उत्सव मनाने से प्रत्येक विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है, जो अंततः कक्षा को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। अतः समय-समय पर विभिन्न त्योहार, जैसे— दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस एवं अन्य त्योहारों को विद्यालय में मनाना चाहिए। जिससे विभिन्न संस्कृति वाले विद्यार्थी एक-दूसरे की संस्कृति को जानें, समझें और सम्मान प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

किसी भी शिक्षा प्रणाली में अपने देश की विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निहित होती है। भारतीय संविधान और शैक्षिक नीतियाँ बहुसंस्कृतिवाद का एक संतुलित प्रतिमान प्रदान करती हैं और विविधता के प्रसार की अनुमति देती हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा, समाज में असमानताओं को समाप्त करने का प्रारंभिक बिंदु है। भारत में सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय, धार्मिक एवं सामाजिक-आर्थिक समूहों की विविधता, बहुसांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर की समझ और सम्मान को दर्शाती है। देश के विद्यालयों में विविधता एक अवसर और चुनौती दोनों है। अत: आवश्यक है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में लागू करने के लिए एक अध्यापक अपनी कक्षा में परियोजना पद्धति, समूह गतिविधि, समस्या-समाधान विधि, संगोष्ठी, बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद या खुली चर्चाओं का आयोजन, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव साझा करने एवं सांस्कृतिक कहानी कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही, समुदाय के साथ मिलकर विभिन्न संस्कृतियों के त्यौहारों को मनाना एवं विद्यालय में प्रतिमाह संस्कृति दिवस का निर्धारण कर उसका आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बहुसंस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

सुझाव

बहुसांस्कृतिक शिक्षा वर्तमान समय की माँग है, क्योंकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांस्कृतिक रूप से पारस्परिक सम्मान, सद्भावना, संरक्षण, पोषण और संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता है। बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम, बहुसांस्कृतिक शिक्षण, कक्षा शिक्षण में समानता, विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण, अवसर की समानता, पारस्परिक सांस्कृतिक सहिष्णुता का निर्माण आदि पर आधारित भविष्य की शिक्षा प्रणाली, देश के विकास के लिए आवश्यक है। विविधता से भरपूर बहुसांस्कृतिक कक्षा में बहुसंस्कृतिवाद को कैसे सम्मिलित किया जाए? सभी विद्यार्थियों की संस्कृति का सम्मान कैसे किया जाए? तथा संस्कृति के आधार पर ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाए? जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्ययों के लिए अध्यापकों को उचित तरीके से शिक्षित-प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ

इगौद्जिल, एम. के. 2017. रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज़्म— क्रिटिकल पेडागोजी एंड क्रिटिकल लिटरेसी इन एजुकेशन. *अमेरिकन मल्टीकल्चरलिज़्म इन कॉन्टेक्स्ट*. कैंब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग. पृष्ठ संख्या 303–315.

कुमार, बी. 2021. *इन्क्लुसिविटी वायस-वर्सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020*. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. दिल्ली प्रेस.

कोठारी, आयोग 1964–66. एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. *रिपोर्ट ऑफ़ द एजुकेशन कमीशन*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.

खान, टी.बी. एवं ए. सिंह. 2021. मल्टीकल्चरल एजुकेशन एंड फ़िलोसोफ़िकल अंडरपिनिंगस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज*. 8(3). पृष्ठ संख्या 78–80.

शिक्षा मंत्रालय. 2021. इम्प्लीमेंटेशन प्लान फ़ॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. *सार्थक (भाग-1)– स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन*. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

गिल्लिस्पिए, डी. एच. 2011. करिकुलम एंड स्कूलिंग— मल्टीकल्चरलिज़्म, क्रिटिकल मल्टीकल्चरलिज़्म एंड क्रिटिकल पेडागॉजी. *द साउथ शोरे जर्नल*. 4. पृष्ठ संख्या 1–10.

तिवारी, एस. के. और डी. लाल. 2016. मल्टीकल्चरलिज़्म टू एड्रेस द क्लासरूम डाइवर्सिटी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पीस, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट*. 4(1). पृष्ठ संख्या 19–23.

द गैजेट ऑफ़ इंडिया. 2009. द राईट ऑफ़ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. पार्ट II, नई दिल्ली. 27 अगस्त.

दीपक. 2017. एजुकेशनल ऑफ़ इंडियन मल्टीकल्चर सोसाइटी एंड सीटीजनशीप. *इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट सोशियोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज*. 8(3). पृष्ठ संख्या 89–99.

दुन्धाव, एस. डी. 2021. मल्टीकल्चरलिज़्म इन एजुकेशन. *एजुकेशनल रेसुर्गेन्स जर्नल*. 3. पृष्ठ संख्या 46–51.

पगन, एस. 2017. ट्राइबल चिल्ड्रेन इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम. *द कम्युनिकेशंस*. 25(1). पृष्ठ संख्या 1–7.

पाई, पी. 2005. मल्टीलिंगुलिज़्म, मल्टीकल्चरलिज़्म एंड एजुकेशन— केस स्टडी ऑफ़ मुंबई सिटी. *प्रोसीडिंग ऑफ़ द फोर्थ इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन बाईलिंगुअलिज़्म*. पृष्ठ संख्या 1795–1806. कास्काडिल्ला प्रेस. सोमेर्विल्ले. एमए.

फाटक, एस. और एस.भुजबल. 2018. मल्टीकल्चरलिज़्म एंड इंडियन एजुकेशनल पॉलिसीज. *स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फ़ॉर इंटरडिसप्लिनरी स्टडीज़*. 6(47). पृष्ठ संख्या 11126–11132.

फ्रेरे, पी. 1994. पेडागोजी ऑफ़ होप—रेलिविंग पेडागोजी ऑफ़ द ओप्प्रेस्सेड. कोन्तिनू. न्यूयॉर्क.

———· 1998. पेडागोजी ऑफ़ फ्रीडम— *एथिक्स, डेमोक्रेसी एंड सिविक करेज*. एमडी लंद्हम. रोवमन एंड लिटिलफील्ड.

बेहेरा, जी. सी. 2010. इंडियन लिटरेचर. मल्टीकल्चरलिज़्म एंड ट्रांसलेशन. *ट्रांसलेशन टूडे*. 7(1 व 2). पृष्ठ संख्या 118-127.

बैंक, जे. ए. एवं बैंक., सी. ए. 1995. हैंडबुक ऑफ़ रिसर्च ऑन मल्टीकल्चरल एजुकेशन. मैकमिलन. न्यूयॉर्क.

मिश्र, जी. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति : संभावनाएँ और चुनौतियाँ. 1(2). पृष्ठ संख्या 60–78. कंचनजंघा.

मुदालियर, ए. एल. 1952–53. *रिपोर्ट ऑफ़ द सेकंड्री एजुकेशन कमीशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. पृष्ठ संख्या 119–121.

मैकलारेन, पी. 2003. *लाइफ़ इन स्कूल— एन इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल पेडागोजी इन फाउंडेशशस ऑफ़ एजुकेशन*. तृतीय संस्करण. लोंगमैन. न्यूयॉर्क.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृष्ठ संख्या 57–60. नई दिल्ली.

भारत सरकार. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नई दिल्ली.

भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नई दिल्ली.

शर्मा, जे. के. 2021. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020— लैंग्वेज पर्सपेक्टिव. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट रिसर्च एंड सोशल साइंस*. 8(1). पृष्ठ संख्या 7–15.

शिंदे, जी. 2021. मल्टीकल्चरल एजुकेशन— एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट इन इंडियन क्लासरूम. *एजुकेशनल रेसुर्गेन्स जर्नल*. 3, पृष्ठ संख्या 190–197.

सरकार, एस. और एल. सरकार. 2021. विजन ऑफ़ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 इन स्कूल एजुकेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च*. 10(1 व 5). पृष्ठ संख्या 91–98.

सिंह, बी. और पी. मिश्र. 2016. *सामाजिक समावेशन— शिक्षा में प्रतिमान विस्थापन, शोधायतन*. 3(6). पृष्ठ संख्या 467–471.